

22/9/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली  
आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 01/12/21 को प्रस्तुत हो

8/1/21

पत्रावली प्रस्तुत। P.O. साख्ब सुनाथ कर्फ  
केन्द्र परमिट है। पत्रावली काफ़ेक दिनांक  
कैम्प कोटि ग्राम पंचायत 4LM से दिनांक  
5/1/21 को पेश हो।

5/1/22

पत्रावली कैम्प कोटि 4LM में पेश हुई।  
तहसीलदार कश्माट से रिपोर्ट प्राप्त हुई।  
शाहिल मिल्ल की गई। मुताबिक तहसीलदार  
रिपोर्ट चक्र 19LM फोन. - 113/63 का 1303  
हैमल कमाण रक्का बहादुर राम शो राम नारायण  
जाति सुघाट के नाम जातेदार दर्ज है उमर  
रक्का विराट में प्राप्त हुआ है मांका  
और एवं ग्राम पंचायत 40LM जारी  
पहचान तहसील अनुमा बहादुर राम बहादुर राम  
होना एक ही व्यक्ति के नाम है तथा शायी  
के दोनो नामों से जाना जाता है। शायी  
के दल्लावेजार से भादरयम पुत्र राम नारायण  
नाम दर्ज है।

पत्रावली का कवलोका किया एवं तहसीलदार  
कश्माट एवं पत्रावली में दर्ज दल्लावेजार जो कर  
मनन किया। शायी डाप प्रस्तुत दल्लावेजार  
एवं तहसीलदार रिपोर्ट के काबाल पर जारी  
का वाद लीका प्रोजे होने के कारण लीका  
किया जाना न्यायिक प्रतीत होना है।

— कावेध: —

वादी डाप प्रस्तुत दल्लावेजार एवं तहसीलदार  
रिपोर्ट के काबाल पर वाद-वर्षी लीका किया  
जाता है एवं प्रतिवर्षी तहसीलदार कश्माट  
को कवेमिल किया जाता है कि वादी का  
नाम राजार दिनांक चक्र 19LM के मू. नं. -

आरीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
-----------	---------------------------------	----------------------------

28 पत्था नं.- 223163 का किला नं.- 1/4,  
 5/2, 6/1, 7/1, 15/2, 16/2, 17 कुल 17 कीटा की  
 1/3 <sup>दिल्ली</sup> कृषि भूमि में बहादुराद पुत्र राम नारायण  
 के लान पट भादुराम पुत्र राम नारायण  
 डुरुएर किदा आकर दई किदा आता सुत्रिएर  
 को तदनुकार डिडी पचा आती है।

निर्णय दिनांक 5/11/22 को सज्जे शाय केंद्र  
 को 4.1m में सुनाया गया।

*P. J. Gade*  
 (प्रियका तलानिया)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 अनूपगढ

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

कैम्प कोर्ट का स्थान : ... ग्राम पंचायत - P.L.M. ....

**अनवान**

भादुराम बनाम सरकार  
दावा बाबत ... कृष्णा तलाव - 88 राज. कांस्ट. अधिनियम  
मुकदमा नम्बर ... 08/2021  
निर्णय दिनांक ... 5/1/22

वादी की ओर से ... स्वयं ... की व प्रतिवादी की ओर से ...  
तहसीलदार, कृष्णा की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 5/1/22 को प्रियंका तलानिया उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वकील - चक्र - 19 एल एम के सुरक्षा नम्बर 28 पत्ता नं. - 223/63 के किला नं. 1 गु 4, 5/2, 6/2, 7 ता 14, 15/2, 16/2, 17 कुल 17 बीघा में 1/3 हिस्सा में वादी का नाम बहादुर राम पुत्र राम नारायण के स्थान पर भादुराम पुत्र राम नारायण डकल किया जाता है तहसीलदार, कृष्णा उम्मानुकार राजा व डिक्री में डकली के खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 5/1/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

~~प्रियंका तलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़~~

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका का तामील		7. आदेशिका का तामील	
जोड़		जोड़	